

अनुसूची

प्रपत्र-क

[नियम 4(2) देखें]

आनन्द विवाह के निबंधन के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

आनन्द विवाह के निबंधक,

जिला.....

झारखण्ड।

महाशय,

आनन्द विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप हम अधोहस्ताक्षरी पक्षों के मध्य दिनांक..... को आनन्द विवाह सम्पन्न हुआ है और हम आनन्द विवाह पंजी में अपने विवाह से संबंधित निम्नलिखित विवरण निबंधित करने का अनुरोध करते हैं:

विवाह से संबंधित विवरण

1. विवाह की तिथि—
2. विवाह का स्थान (स्थान को चिन्हित करने हेतु पर्याप्त विवरण सहित)—
3. वर संबंधी विवरण—
 - (क) पूरा नाम/आधार संख्या—
 - (ख) अधिवास—
 - (ग) उम्र (जो 21 वर्ष से अन्यून नहीं होगा, देखें धारा 5)—
 - (घ) निवास का सामान्य स्थान—
 - (च) आवेदन के समय पता—
 - (छ) विवाह के समय स्थिति, क्या— अविवाहित/विधुर/परित्यक्त

(वर का हस्ताक्षर)

दिनांक—

4. वधु संबंधी विवरण—
 - (क) पूरा नाम/आधार संख्या—
 - (ख) अधिवास—
 - (ग) उम्र (जो 21 वर्ष से अन्यून नहीं होगा, देखें धारा 5):—
 - (घ) निवास का सामान्य स्थान—
 - (च) आवेदन के समय पता—
 - (छ) विवाह के समय स्थिति, क्या— अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता

दिनांक—

(वधु का हस्ताक्षर)

5. वर के पिता के संबंध में विवरण—

- (क) पूरा नाम—
- (ख) उम्र—
- (ग) पेशा—
- (घ) निवास का सामान्य स्थान—
- (च) आवेदन के समय पता—
- (छ) जीवित या मृत—

दिनांक—

(वर के पिता का हस्ताक्षर)

(नोट—वर के पिता का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।)

6. वधु के पिता या अन्य अभिभावक के संबंध में विवरण—

- (क) पूरा नाम—
- (ख) उम्र—
- (ग) पेशा—
- (घ) निवास का सामान्य स्थान—
- (च) आवेदन के समय पता—

दिनांक—

(वधु के पिता या अन्य अभिभावक का हस्ताक्षर)

(नोट— वधु के पिता या अन्य अभिभावक का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।)

7. विवाह सम्पन्न करानेवाले पुरोहित का विवरण—

- (क) पूरा नाम—
- (ख) उम्र—
- (ग) निवास का सामान्य स्थान—
- (घ) पता—

(नोट— पुरोहित संबंधी विवरण अंकित करना आवश्यक नहीं है, यदि आवेदन विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष पश्चात् दिया गया हो। पुरोहित का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।)

दिनांक—

(विवाह सम्पन्न करानेवाले पुरोहित का हस्ताक्षर)

घोषणा— हम सत्यनिष्ठ घोषणा करते हैं कि हमसे एवं सम्पन्न विवाह से संबंधित विवरण जो आवेदन-पत्र में अंकित है, हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सत्य है और शेष तथ्य प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है एवं विश्वास है कि वे सत्य हैं।

8. वर का हस्ताक्षर

(वधु का हस्ताक्षर)

दिनांक—

दिनांक—

9. 1.गवाह

- (क) पूरा नाम—
(ख) पिता का नाम—
(ग) उम्र—
(घ) पता—
(ङ) आधार संख्या—

हस्ताक्षर—

दिनांक—

वर एवं वधू के परिचय एवं इस आवेदन-पत्र के साथ अनुलग्न अन्य विवरणों के संबंध में श्री/श्रीमती..... पदनाम.....(एक राजपत्रित पदाधिकारी वार्ड कमिश्नर या ग्राम पंचायत के मुखिया या उप-मुखिया या पंचायत समिति के प्रमुख) द्वारा अभिप्रमाणित।

नोट— विवाह के उभय पक्षों का परिचय या अन्य विवरणों का अभिप्रमाणन किसी एक पदाधिकारी द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में एक से अधिक ऐसे पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

अनुसूची

प्रपत्र-ख

[देखें नियम 11]

शुल्क पावती

(द्वितीयक)

- (1) क्रम संख्या—
(2) प्राप्ति की तिथि—
(3) जिनसे शुल्क प्राप्त हुआ है:—
(4) किस निमित्त शुल्क प्राप्त हुआ है:—
(5) नियम जिसके अंतर्गत शुल्क ग्रहणीय है—
(6) शुल्कों की राशि—

स्थान—

दिनांक—

2.गवाह

- (क) पूरा नाम—
(ख) पिता का नाम—
(ग) उम्र—
(घ) पता—
(ङ) आधार संख्या—

हस्ताक्षर—

दिनांक—

विवाह निबंधक का हस्ताक्षर

अनुसूची

प्रपत्र-ग
[देखें नियम 12]
कैश बुक

पावती संख्या एवं तिथि	वसूल की गयी राशि का विवरण	राशि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	कोषागार में जमा राशि	चालान नं० एवं तिथि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुसूची

प्रपत्र-घ
[देखें नियम 12]
कैश बुक

क्रम संख्या	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि एवं आवेदन प्रस्तुत करने वाले का नाम	विवाह के पक्षों एवं विवाह की तिथि	अस्वीकृत या वापस	अस्वीकृत या वापसी का कारण
1	2	3	4	5

प्रपत्र-ड.
[देखें नियम 7(2)]

अधिसूचना संख्या..... के अन्तर्गत सिक्ख विवाह नियमावली के नियम 7 (2)
के अन्तर्गत विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र

वर वधु का फोटो



मैं..... इस रीति से प्रमाणित करता हूँ कि श्री सुपुत्र श्री.....
..... निवास स्थान..... जिला..... तथा श्रीमती
सुपुत्री श्री..... निवास स्थान..... जिला.....
..... आज दिनांक- को मेरे समक्ष तीन गवाहों के साथ उपस्थित
हुए तथा सकारा कि दोनों का विवाह दिनांक-..... को स्थान.....
में संपन्न हुआ है तथा उक्त तिथि से दोनों पति-पत्नी के रूप में निवास कर रहे हैं। उनकी
इच्छा के अनुरूप उनके विवाह का निबंधन आज दिनांक..... को सिक्ख विवाह
अधिनियम, 1909 के अन्तर्गत किया गया है जो दिनांक (विवाह संपन्न होने की तिथि)
से प्रभावी होगा।

गवाह का पूर्ण विवरण/आधार संख्या
वा हस्ताक्षर

सिक्ख विवाह निबंधन पदाधिकारी
कार्यालय

- 1.
- 2.
- 3.

वर का नाम/आधार सं० एवं हस्ताक्षर

वधु का नाम आधार सं० एवं हस्ताक्षर